INDIA TEN RUPEES

10/-

(232)

श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, सागर म.प्र.

...090- वर्ष 2012.

1. मखोला तनय कुन्नईयां मुसलमान R-341-II/13

2. सकूरा तनय कुन्नईयां मुसलमान

3. छोटू पिता कुन्नईयां मुसलमान

निवासी- सुगरहा, तह. गुनौर जिला पन्ना म.प्र.

.. निगरानीकर्तागण

2012

// विरूद्ध //

1. सुकरोमा तनय गोटा मुसलमान

2. भोला तनय गेाटा मुसलमान

निवासी-ग्राम सुगरहा तह. गुनौर जिला पन्ना म0प्र0

.. अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर, पन्ना के प्र.क्र.-45/निग./वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23.12.11 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है -

39
15-10-12

1:-

यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार गुनौर द्वारा ख.नं. 315,315क,316,316 क कुल किता 4 कुल रकवा 4.50 हे. भूमि का नामांतरण आदेश अपने प्र0क्र0-11 वर्ष 93-94 आदेशदिनांक 24.8.94 में जरिया किया गया था उक्त आदेश समस्त आवश्यकपक्षकारों द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड बटवारानामा के आधार पर पक्षकारों की सहमति से किया गया था। उक्त बटवारा को अपास अनावेदक क्र.1 व 2 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुनौर के समक्ष 15 वर्ष पश्चात दिनांक 24.8.09 में की गई साथ में धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त बटवारा की जानकारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-341-दो/2013 जिला पन्ना

मखोला विरूद्ध सुकरोमा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 45/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (3) (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	